अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

अधिग्रहण वाद सं० 4 आर० 28/2016–17

राज्य

बनाम

आरिफ रजा, पिता– मो० नेजामुद्दीन निवासी ग्राम सोस, थाना चान्हो, जिला रॉची .... विपक्षी

16
24.02.2023

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, रांची के पत्रांक 514 दिनांक 19.12.2016 के द्वारा चान्हों थाना काण्ड संख्या 116/2016 दिनांक 01.12.2016 धारा 7 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं धारा 413/414 भा०द०वि० में जप्त 78 बोरा में 39 क्विंटल चावल के अधिग्रहण हेतु अग्रसारित प्रस्ताव के आधार पर आरम्भ किया गया है।

विपक्षी को नोटिस निर्गत होने के बावजुद उनकी ओर से इस वाद मे बहस करने हेतु कोई उपस्थित नही हुआ। अतः राज्य सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता का बहस सुनने के पश्चात् यह वाद अंतिम आदेश पारित करने हेतु निर्धारित किया गया ।

विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता उपरोक्त पत्र द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार सुनील कुमार दुबे, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चान्हों, रॉंची के द्वारा चान्हों थाना प्रभारी की ओर से दिनांक 30.11.2016 को ग्राम सोस, प्रखण्ड–चान्हों के आरिफ रजा, पिता–मो० नेजामुद्दीन के मकान में सरकारी चावल होने के शक पर सील किया गया था। जाँच के दौरान दो गवाहों क्रमशः (1) मो० उबैद, पिता–मो० नेजामुद्दीन एवं (2) शफीक अंसारी, पिता–स्व० शरीफ अंसारी के समक्ष उक्त सील को खोलकर जाँच पड़ताल किया गया। सील खोलने के उपरांत उक्त मकान में चावल से भरा जूट के 78 (अठहत्तर) बोरा नीला धागा से मशीन

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

सिलाई स्टीकर जिसपर M/S HANUMAN RICE MILLS (P) LTD NAIKAPALI, A/C A.M.F.C.I TILTLAGARAH P.B.C SOR 01/OSCSC LOT NO- "C" लिखा पाया गया। इस प्रकार का स्टीकर सरकारी योजना पी०एच०/ए०ए०वाई० अन्तर्गत खाद्यान चावल के बोरा में पाया जाता है। जाँच के समय आरीफ रजा के भाई मा० उबैद जो उक्त मकान खोलने के समक्ष उपस्थित थे, परन्तु उनके द्वारा कोई रसीद मेमों नहीं दिखाया गया।

राज्य सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता का बहस सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से सरकारी योजना का चावल को कालाबजारी करने के नियती से उच्चे दाम पर बिक्री करने हेतु संग्रह किया गया था। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6ए० के अन्तर्गत चान्हों थाना काण्ड संख्या 116/2016 दिनांक 01.12.2016 धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं धारा 413/414 भा०द०वि० में जप्त 78 बोरा में 39 क्विंटल चावल को राजसात किया जाता है।

इस आदेश की प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

Rahul
उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

Rahul
उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.03.23 15:51:48 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:24d0:3f92:988a:358d